कार्यालय–प्रयागराज विकास प्राधिकरण, प्रयागराज

एन0आई0टी0 संख्याः 51 / मु0अ0 / वि0प्रा0 / 2022 दिनांक : 3 / 12 / 2022

निविदा–सूचना

प्रयागराज विकास प्राधिकरण में निम्न कार्य की निविदा सपठित नियम व शर्तों के अधीन निविदा आमंत्रित की जाती है। विस्तृत विवरण सहित निविदा प्रपत्र उत्तर प्रदेश की ई–प्रक्योरमेन्ट की वेबसाइट https://etender.up.nic.in / www.pdaprayagraj.in से प्राप्त एवं देखे जा सकते हैं।

S. No.	Name of Work	Estimate cost (Rs. In Lacks)	Earnest Money (Rs. In Lacks)	Cost of bid document / e-Tender processing fee + 18% GST (Rs.)	Work Period (Months)	Category of Bidder	Last date of uploading of e-tender document	Place of opening of terder / Pre-qualification part through E-tender procurement solution
1	नगर के विभिन्न स्थानों पर वस शेल्टर्स पार्ट–2, (सिविल वर्क) का अवशेष कार्य।	261.74	5.24	3000.00 + 540.00	3 माह	टू–विड पद्धति (ओपेन टू ऑल)	26.12.2022 at 2.00 P.M	26.12.2022 को अपराह्न 04:00 पी0डी0ए0 मीटिंग हॉल
2	शान्तीपुरम आवास योजना के सेक्टर–ए में 18 मी0 रोड पर वायीं तरफ नवसृजित 10 भूखण्डों एवं दाहिनी ओर 28 भूखण्डों के वाह्य विद्युतीकरण एवं एल0ई0डी0 प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	16.33	0.33	300.00 + 54.00	2 माह	टू–विड पद्धति प्राधिकरण के पंजीकृत ठेकेदार श्रेणी–विद्युत	14.12.2022 at 2.00 P.M	14.12.2022 को अपराह्न 04:00 पी0डी0ए0 मीटिंग हॉल

नियम व शर्तेः–

(1) निविदा मूल्य व जमानत (धरोहर) धनराशि प्रयागराज विकास प्राधिकरण, प्रयागराज के यूको वैंक, मुख्य शाखा, सरदार पटेल मार्ग, सिविल लाइन्स, प्रयागराज में प्रयागराज विकास प्राधिकरण, प्रयागराज के खाता सं0–00320204000449 IFSC Code - UCBA0000032 में NEFT/ RTGS के माध्यम से जमा करते हुये प्राप्त यू0टी0आर0 स्लिप (पृथक–पृथक)की स्कैन कापी ई–निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य है। निर्धारित निविदा शुल्क या धरोहर धनराशि प्राधिकरण खाते में निर्धारित समय तक प्राप्त न होने की स्थिति में निविदा मान्य नहीं होगी। निविदा मूल्य की जमा धनराशि किसी भी दशा में वापिस नहीं की जायेगी।

(2) यदि किसी कारणवश निविदा खोले जाने की तिथि को यदि अवकाश होता है तो उसके ठीक अगले कार्य दिवस में निविदा खोली जायेगी।

(3) निविदादाता को आयकर विभाग, श्रम विभाग एवं जी0एस0टी0 में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। शासन द्वारा समय–समय पर लागू आयकर, लेवर सेस एवं अन्य करों की कटौती पूर्व की भांति ठेकेदार के विलो से नियमानुससार की जायेगी। जी0एस0टी0 नियमानुसार अतिरिक्त देय होगा।

(4) निविदा प्रपत्र एवं निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले सभी प्रपत्रों को स्व हस्ताक्षरित किया जाना अनिवार्य है। विना स्व हस्ताक्षरित निविदा प्रपत्र के प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

(5) सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।

(6) निविदादाता स्वंय स्थल देख लें और सहीं स्थिति से संतुष्ट होने के वाद ही निविदा में दरें अंकित करें। निविदा की दी गई दरे 03 माह तक मान्य होगी।

(7) केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/स्थानीय निकाय द्वारा समय–समय पर लगाये गये करों सहित नियमानुसार अन्य कटौतियॉ लोक निर्माण विभाग व शासन द्वारा जारी नियमों के अनुसार फर्म/ ठेकेदार के चलित देयक से की जायेगी।

(8) निविदा स्वीकृति की दशा में निविदादाता को भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम–1996 के अन्तर्गत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व श्रम विभाग में पंजीयन सुनिश्चित कराना अनिवार्य होगा।

(9) निविदादाता को निविदा में दर्शित मदों के समान प्रकृति के कार्य का अनुभव संलग्न करना होगा। अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न न होने की दशा में निविदा मान्य नहीं होगी।

(10) निविदा सूचना प्राधिकरण की वेवसाईट pdaprayagraj.in पर एवं निविदा प्रपत्र ई–पोर्टल वेबसाईट http://etender.up.nic.in पर देखे जा सकते है। इच्छुक निविदादाताओं से अनुरोध है कि वे नियमित रूप से उक्त वेवसाईट को समय–समय पर देखते रहें। निविदाओं के सम्वन्ध मे कोई भी संशोधन/परिमार्जन/परिवर्तन व अतिरिक्त सूचनाऐं उक्त वेवसाईट पर ही उपलब्ध करायी जायेगी।

(11) विशिष्ट श्रेणी के कार्यों हेतु किसी भी विकास प्राधिकरण/शासकीय विभाग में पंजीकृत फर्में निविदा में प्रतिभाग कर सकती है। प्राधिकरण में अपंजीकृत सफल निविदादाता को अनुवन्ध से पूर्व प्र0वि0प्रा0, प्रयागराज में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा एवं प्रयागराज विकास प्राधिकरण में पंजीकृत फर्मों को नवीनीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(12) कार्य की मात्रा में कमी/बढ़ोत्तरी अथवा विभाजित करने अथवा किसी भी निविदा/समस्त निविदाओं को विना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार उपाध्यक्ष, प्रयागराज विकास प्राधिकरण में निहित है, जिसके विरूद्ध निविदादाता का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।

(13) निविदादाता द्वारा दिये गये दस्तावेजों/प्रमाण–पत्रों के गलत पाये जाने पर कार्य/अनुवन्ध की स्वीकृति को तत्काल निरस्त करते हुए ठेकेदार द्वारा जमा धरोहर/जमानत धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा तथा ठेकेदार को कालीसूची में डाल दिया जायेगा। कार्य सम्पादन में विलम्ब किये जाने पर निविदा में प्रतिभाग करने से डिवार कर दिया जायेगा।

........./2.

(14) स्टेट बार कैंसिल में पंजीकृत व्यक्ति एवं आपराधिक रिकार्ड वाले निविदादाता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं है। साथ ही यदि निविदादाता का सगा सम्बन्धी (First blood relation & their dependant) प्रयागराज विकास प्राधिकरण में कार्यरत है,तो उसे भी निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं है।

(15) निविदादाता को इस आशय का शपथ–पत्र देना होगा कि उसका अथवा उसके पति/पत्नी का अथवा उसके किसी भी पार्टनर अथवा पार्टनर के पति/पत्नी का निकट का रिश्तेदार (पिता, पुत्र, पुत्री, पति, पत्नी, भाई, बहन) प्रयागराज विकास प्राधिकरण में कार्यरत नहीं है। यदि किसी भी समय इसके विपरीत तथ्य पाया गया तो ठेकेदार का पंजीकरण निरस्त करते हुए फर्म को काली सूची में डाल दिया जायेगा।

(16) आवेदनकर्ता को प्रस्तर–15 में उल्लेखित शर्तो के अतिरिक्त एक शपथ पत्र इस आशय से भी देना होगा कि उस का कोई निकट सम्बन्धी (पिता, पुत्र, पुत्री, पति, पत्नी) किसी फर्म या कंपनी में भागीदार अथवा डायरेक्टर नही है जो प्रयागराज विकास प्राधिकरण प्रयागराज में पंजीकृत ठेकेदार हो, और यदि ऐसा है तो उसे समस्त विवरण अपने रिश्तेदार की फर्म अथवा कंपनी का उल्लेख करते हुये अपने आवेदन के साथ वर्णित करना आवश्यक होगा, साथ ही आवेदक को यह भी घोषणा पत्र देना आवश्यक होगा कि प्राधिकरण द्वारा जारी निविदा में जिसमें वह भाग ले रहा है उसमें उसके रिश्तेदार, संबन्धी या सम्बन्धी की फर्म या कंपनी भाग नहीं लेगी। इसके विपरीत यदि यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा प्राधिकरण में इन तथ्यों को छिपाया गया है अथवा किसी समय इनकी अवहेलना की गई है तो प्राधिकरण को अधिकार होगा कि वह आवेदक का पंजीकरण अविलंब निरस्त कर दे और उसके पक्ष में यदि कोई कार्य आवंटन है तो उसको भी समाप्त करते हुये उसकी जमा धनराशि को प्राधिकरण अविलम्ब जब्त कर लेगा।

(17) आवेदक या पंजीकृत किए जाने वाले ठेकेदार पर कंपटीशन एक्त 2002 के समस्त प्रावधान लागू होंगे और उनकी अवहेलना करने पर प्राधिकरण को सम्बन्धित ठेकेदार के विरूद्ध विधिसम्मत कार्यवाही करने का सम्पूर्ण अधिकार होगा।

(18) विद्युत सम्बन्धी कार्य हेतु विद्युत सुरक्षा, यू0पी0पी0सी0एल0 से अनुमोदन लेने एवं कार्य को यू0पी0पी0सी0एल0 को हस्तान्तरण किये जाने की जिम्मेदारी फर्म/ठेकेदार की होगी।

(19) निविदादाता को निविदा प्रपत्र में अंकित निर्माण कार्य सम्बन्धी प्लांट एवं मशीनरी के स्वामित्व/लीज/क्रय सम्बन्धी अभिलेख प्रस्तुत करने होगें तथा सड़क निर्माण सम्बन्धी कार्य के लिये हॉट मिक्स प्लान्ट होना चाहिए।

(20) यदि कोई निविदादाता बिड रिगिंग/Bid Collusion में सम्मिलित पाया जाता है अथवा निविदा की स्वस्थ प्रतियोगिता की प्रक्रिया को किसी भी प्रकार से दूषित करता है, तो उसे भविष्य में होने वाली निविदा में प्रतिभाग करने हेतु प्रतिबन्धित कर दिया जायेगा।

(21) प्राधिकरण में सभी निर्माण/विकास/अनुरक्षणीय कार्यो हेतु डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड 02 वर्ष निर्धारित है।

(22) 50% निर्धारित समय अवधि के पश्चात कार्य की वित्तीय प्रगति 25% से कम होने पर सम्बन्धित ठेकेदार को कार्य समापन तक प्राधिकरण की निविदाओं में प्रतिभाग किये जाने हेतु प्रतिबंधित किया जायेगा।

(23) निविदादाताओं को निविदा शुल्क एवं अनरेस्ट मनी की एफ0डी0आर0/आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0 की मूल प्रति निविदा खोलने के अगले कार्य–दिवस में अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।

(24) ई–प्रक्योरमेन्ट की वेबसाइट पर उपरोक्त कार्यो की निविदा दिनांक 06.12.2022 से उपलब्ध होगी।

मुख्य अभियंता
प्र0वि0प्रा0

प्रतिलिपिः–